

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मेशल संख्या 221/2016

निर्णय दिनांक :- 27.02.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. प्रधान पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. पोखर पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. रामसहाय पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. रामराय पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. कैलाश पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. मंदोर पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
7. काली पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
8. मनभर पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
9. बाली पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
10. कान्ती पुत्री हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
11. नन्दकुरी बेवा हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
12. सोदान पुत्र लखमा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
13. श्योजी पुत्र लखमा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थीगण-

बनाम

1. ब्रह्मानन्द पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. कन्या पुत्री जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. मनभर पुत्री जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)



4. यशोदा पुत्री जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. गणेशी पुत्री जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी 5. नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. धन्नी बाई पुत्री जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
7. भूला देवी पत्नी जयनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
8. गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
9. रामलाल पुत्र चतुर्भुज जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
10. रंगलाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
11. रामलाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
12. प्रहलाद पुत्र देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
13. भूरी पुत्री देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
14. देव पुत्री देवलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
15. उदा पुत्र बख्ताबस जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
- 15/1 प्रभुलाल पुत्र स्व. उदा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
- 15/2 रामप्रकाश पुत्र स्व. उदा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
- 15/3 शिवराज पुत्र स्व. उदा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
- 15/4 धर्मराज पुत्र स्व. उदा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
- 15/5 श्रीमती जेतू धन्नी स्व. उदा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
16. किशाना पुत्र माधो जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
17. रामरतन पुत्र युवराज जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)



18. बाबू पुत्र युवराज जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दुनी जिला टोंक (राज.)
19. श्रीलाल पुत्र राधू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (सज्ज.)
- 19/1 घासी लाल पुत्र स्व. श्रीलाल जाते गुर्जर उम्र बालिग निवासी हनुमानपुरा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
20. प्रेमलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
21. धन्नालाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
22. कन्हैयालाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
23. प्रभाती पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
24. विमला पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
25. गोकली पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
26. तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला-टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :-

श्री कुलदीप शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार  
एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध  
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14,  
15/1 ता 15/5, 16 ता 18,  
19/1 व 20 ता 25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण नं. 1 ता 9 की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे-काशत की आराजीयात खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1178 रकबा 4.32 है0, खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.06 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.83 है0 वाके तनग्राम नयागांव गोठडा पटवार हल्का चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण नं. 10 व 11 की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे-काशत की आराजीयात खाता संख्या 320 खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1806/350 रकबा 0.01 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 है0 वाके तनग्राम नयागांव गोठडा पटवार हल्का चांदसिंहपुरा



तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही अपनी उक्त वर्णित भूमियों में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण नं. 1 ता 25 की खातेदारी की भूमियां आराजी साबिक खसरा नम्बर 427, 425मि., 425 मि., 438/426, 435, 436, 437, 452 जिनके हाल खसरा नम्बर 1222, 1223, 1229, 1212, 1218, 1215, वाके तनग्राम नया गांव गांठड़ा 651 1216, 1209 वाके तनग्राम पटवार हल्का चांदसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में से होकर आते-जाते रहे हैं। देवली तहसील में हाल ही में हुए सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा काफी अनियमितताएं बरती गईं जिनमें खातेदारों की भूमि को अन्य खातेदारी में दर्ज कर दी गई, मिलान क्षेत्र गलत बना दिये गये, नक्शा सीट गलत बना दी गई है तथा भूमिया को राजकीय भूमि में सम्मिलित कर दिया है। इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमियों में आने-जाने वाले रास्ते की भूमियों को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 25 की खातेदारी की भूमियों में दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीगण उक्त वर्णित अप्रार्थीगण काश्तकारी करते हैं। आज भी मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस कारण न्यायहित में साबिक नक्शा सीट के अनुसार हाल नक्शा सीट में रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अप्रार्थी नं. 26 तहसील दूनी लेण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। बाकि कानूनी पहलू व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरवक्त बहस निवेदन किये जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियों में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण नं. 1 ता 25 की उक्त वर्णित भूमियों से में साबिक नक्शा सीट के अनुसार हाल नक्शा सीट में रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14, 15/1 ता 15/5, 16 ता 18, 19/1 व 20 ता 25 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार दूनी ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- 1. पेरा 1 में वर्णित ख. नं. 1178 रकबा 4.32 है0, 1179 रकबा 0.13 है0, 1180 रकबा 0.32 है0, 1208/0.06 है0 किता 4 रकबा 4.83 है0 वादीगण 1 से 9 के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। 2. पेरा 2 में वर्णित ख. नं. 1172 रकबा 0.62 है0 , 1806/350 रकबा 0.01 है0 वादीगण 10 व 11 के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड होने से स्वीकार है। पेरा 3 में वर्णित तथ्य संलग्न नक्शा ट्रेस जिला कलेक्टर क्रमांक 636/7.8.14 के जारी व मिलान क्षेत्रफल से साबिक नं. 438 रास्ते के रूप में दर्शाया होन से स्वीकार है। 438 की किस्म स्वयं सिद्ध करे। पेरा 4 साबिक शीट में ग्राम नयागांव गोठड़ा में ख. नं. 438 रास्ते के रूप में दर्ज होने से व मिलान क्षेत्रफल नकल में साबिक

438, 426 का हाल ख. नं. 1218 साबित होना स्वीकार है। 5. पेरा कानूनी है। 6. पेरा कानूनी है। वाद पत्र का पेरा 7 स्वीकार है। अतः पुरानी शीट में ख. नं. 438 रास्ते के रूप में दर्ज होने से वादी का दावा स्वीकार योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।


अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में पत्रावली अनुसार निर्णय करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही अप्रार्थीगण नं. 1 ता 25 की खातेदारी की भूमियां आराजी साबिक खसरा नम्बर 427, 425 मि., 425 मि., 438/426, 435, 436, 437, 452 से होकर आते जाते रहे हैं। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 427 से हाल ख. नं. 1222, 425 मिन से हाल ख. नं. 1223 व 1229, 438/426 से ख. नं. 1218, साबिक ख. नं. 435 व 436 से हाल ख. नं. 1215, साबिक ख. नं. 437 से हाल ख. नं. 1216, साबिक ख. नं. 452 से हाल ख. नं. 1209 बनना दर्शित है। साबिक नक्शा शीट सम्वत 2000 सन् 1944-45 अनुसार बिन्दूवत रास्ता जिसको सामान्य बोलचाल में पगढंडी के रूप में साबिक ख. नं. 438 दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में साबिक ख. नं. 438 के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि ख. नं. 438 राजकीय भूमि रही है या अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल संवत 2046-65 ग्राम नयागांव गोठड़ा में अंकित साबिक ख. नं. 438/426 से हाल ख. नं. 1218 बनना प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी के हाल ख. नं. 1222, 1223, 1229, 1217, 1218, 1215, 1216, 1209 नयागांव गोठड़ा में साबिक नक्शा शीट के अनुसार रास्ता दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली में उपलब्ध हाल नक्शा ट्रेस को साबिक नक्शा शीट पर इम्पोज करने से हाल ख. नं. 1225, 1224, 1223, 1229, 1217, 1216, 1207 से डोटेटेड लाईन अंकित होनी चाहिए जबकि ख. नं. 1223 व 1229 ही अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। शेष ख. नं. के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने न तो प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है और न ही उनसे सम्बन्धित रिकॉर्ड पेश किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 27.02.2024 को सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली